न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरू (राज.)

...सीन अधिकारी :– ओमप्रकाश वर्मा आर. ए. एस.
...रण संख्या :–78 / 2018
...र्णय दिनांक:–29.01.2025
GCMS NO.- 2018/00049

1. धापू कंवर पत्नी भोपालसिंह आयु 70 साल जाति राजपूत निवारी मलसीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू
2. कल्याणसिंह पुत्र भोपालसिंह आयु 45 साल जाति राजपूत निवारी मलसीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरूजरिये अपने मुख्त्यारआम श्री रामप्रताप पुत्र श्री गांगीलाल जाति जाट निवारी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. धापी देंवी पत्नी गुलाबराम ,जाति ब्राहम्ण निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू
2. शिवप्रसाद पुत्र गुलाबराम ,जाति ब्राहम्ण निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू
3. श्योभगवान पुत्र गुलाबराम ,जाति ब्राहम्ण निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू
4. जनकीप्रसाद पुत्र गुलाबराम ,जाति ब्राहम्ण निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू
5. मदनलाल पुत्र गुलाबराम ,जाति ब्राहम्ण निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू
6. सीताराम पुत्र गुलाबराम ,जाति ब्राहम्ण निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू
7. नारायणी पुत्री गुलाबराम ,जाति ब्राहम्ण निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू
8. गोदावरी पुत्री गुलाबराम ,जाति ब्राहम्ण निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू
9. शान्ति पुत्री गुलाबराम ,जाति ब्राहम्ण निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू
10. रामेश्वर पुत्र भेरूदत ,जाति ब्राहम्ण निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू
11. प्रमानन्द पुत्र भेरूदत ,जाति ब्राहम्ण निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ जिला चूरू
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक ,रेकार्ड दुरस्ती एंव चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत

—:निर्णय:—

उपरोक्त अनवानी प्रकरण वादीगण के द्वारा पेश किया गया जिसके दावे के अनुसार निम्न तथ्य है कि यह कि वादीगण ग्राम मलसीसर के स्थाई निवासी है, जो कि ग्रामीण परिवेश के अनपढ, वृद्ध व अक्सर बीमार होने के कारण न्यायिक कार्य स्वयं उपस्थित होकर करने मे असमर्थ होने के कारण वादगत भूमि की सारं संभाल व समस्त प्रकार की न्यायिक कार्यवाही करने हेतु, वाद प्रतिवाद करने के लिये जरिये अपने मुख्तयार आम श्री रामप्रताप, जो कि वादीगण के गांव का व काफी विश्वसनीय, आपसी प्रेम भाव का व्यक्ति है, जिसे वादीगण ने मुख्त्यार आम नियुक्त कर रखा है, जिसे उपरोक्त वादगत भूमि के बारे मे हर प्रकार से भौतिक वास्तविक जानकारी रही है, वाद जरिये मुख्त्यार पेश किया जा रहा है। वादीगण संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 की पिता स्व भोपालसिंह के समय से ही अर्सा करीब 40 साल पुराना वादीगण के कब्जा काश्त अधिकार उपयोग उपभोग का खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा भुमि वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा मे स्थित चली आ रही है। जो कि पुर्व मे स्व भोपालसिह के कब्जा अधिकार मे रही व वर्तमान मे वादीगण के कब्जा काश्त अधिकार उपयोग उपभोग मे शांति पुर्वक निर्बाध रूप से चली आ रही है। जिसके एकमात्र मालिक व स्वामी वादीगण ही है, अन्य किसी भी व्यक्ति का उपरोक्त भूमि पर कोई अधिकार हक नही है। उपरोक्त भूमि के अलावा वादीगण के अन्य कोई कृषि भूमि नही है। उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा भुमि वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

के पिता स्व भोपाल सिह के द्वारा खातेदारान प्रतिवादी से जरिये प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 04/09/1978 को खरीद कर उपरोक्त भूमि का कब्जा अधिकार प्राप्त कर लिया गया था व उपरोक्त दिवस के बाद कभी भी प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि पर नही आये व न ही प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि के रेकार्ड के बारे मे कभी अब जानकारी रही है, स्व. भोपाल सिह ने अपने जीवन काल मे उपरोक्त खेत की पूर्णतया सार संभाल काश्त बतौर खातेदार के रूप मे की व निरन्तर भूमि सुधार किये व स्व भोपालसिंह के देहान्त दिनांक 06/04/2005 के बाद उपरोक्त भूमि वादी का बतौर विरासतन प्राप्त हुई व वादीगण के कब्जे मे रही है। जिस पर वादीगण को उपरोक्त भूमि पर साधिकार एडवर्स पजेशन परिपक्व हो चुका है। उपरोक्त दस्तावेज प्रतिज्ञा पत्र 30 वर्ष से पुराना दस्तावेज है जिस पर किसी भी प्रकार से अविश्वास नही किया जा सकता है। स्व भोपालसिंह व वादीगण जो कि अनपढ ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे, जिन्हे उपरोक्त उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड के बारे मे किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नही रही व न ही कभी उपरोक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड प्राप्त किया ,जिस कारण वादीगण को यह जानकारी मे कभी भी नही आया कि यह भूमि वर्तमान मे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है व न ही उपरोक्त जरूरत हुई। वर्तमान समय मे खातेदारी भूमि पर विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाये, ऋण, किसान केडिट कार्ड आदि सुविधाये व कुन्ड मकान की सुविधाये प्राप्त है। जिस पर वादीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाने के आशय से हल्का पटवारी से सम्पर्क कर दिनांक 06/4/18 को उपरोक्त भूमि की जमाबन्दी नकल का अवलोकन करवाया तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि उपरोक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, वादीगण का रेकार्ड मे कोई नाम नही है। जिस पर वादीगण ने पता किया तो वादीगण को पता चला कि उपरोक्त प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 04/09/1978 के आधार पर भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता पति स्व भोपालसिह के नाम दर्ज नही हुई। दावा पेश कर अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावे कि खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा भुमि वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा वादीगण के पिता स्व भोपाल सिह के द्वारा खातेदारान प्रतिवादी से जरिये प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 04/09/1978 को खरीद कर उपरोक्त भूमि का कब्जा अधिकार प्राप्त कर लिया गया था, जिसके वादीगण खातेदार कृषक है वर्तमान राजस्व रेकार्ड गलत व शुन्य है जिसमे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खातेदारी गलत व शुन्य है जिसे हटाया जावे। भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावे एंव प्रतिवादीगण जरिये चिर निषेधाज्ञा द्वारा वर्जित किया जावे कि खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा भुमि वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा वादीगण को बेदखल न करे और नही ऐसा कोई कार्य करे जिसे वादीगण के कानुनी अधिकारो पर असर पडता हो।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं दिनांक 09/07/2018 को वादी के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादीगण के नोटिस अखबार प्रकाशन हेतू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, जिसकी प्रति दिनांक 20/07/2018 को पेश करने पर प्रतिवादी गण के खिलाफ पर्याप्त तामिल की अवधारणा की जाकर प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई, वादी की आरे से पेश प्रार्थना पत्र पर मोका कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 27/07/2018 को पेश हुई। जवाब पेरोकार ने राज्य हित निहित नही होने के कारण वाद पत्र मे जवाब प्रतिवाद नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन मे मोखिक गवाह के रूप मे पीडब्ल्यु 01 से पी डब्ल्यु 06 के बयान दर्ज करवाये व लिखित साक्ष्य मे प्रदर्श 01 से प्रदर्श 10 तक दस्तावेज पेश किये गये ।

बहस वादी सुनी गई, पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा भुमि वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा वादीगण के पिता स्व भोपाल सिह के द्वारा खातेदारान प्रतिवादी से जरिये प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 04/09/1978 को खरीद कर भूमि का कब्जा अधिकार प्राप्त कर लिया गया, उपरोक्त दस्तावेज 42 वर्ष पुराना दस्तावेज है जिसकी साक्ष्य विधि के अनुसार गलत होने की अवधारणा नही की जा सकती है , मोका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार भी उपरोकत भूमि पर कब्जा काश्त लगातार 40–42 साल से वादीगण की होना अंकित किया है जिसकी समर्थन साक्ष्य गवाहान

उपखण्ड अधिकारी
सूजानगढ

ता 06 ने भी की है वरवक्त मोका रिपोर्ट उपरोक्त भूमि वादीगण की काश्त मौका पर अंकित है व भूमि पर वादीगण पुर्णतया विधि के अनुक्रम मे काबिज है पर्चा लगान रसीद अवलोकन करने से भी स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि पर वादीगण लगातार काबिज काश्तकार है। प्रदर्श 2 जमाबन्दी के अनुसार भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रतिज्ञा पत्र एवं मुल पर्चा लगान प्रदर्श 4 एवं कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श 08 के अवलोकन से जाहिर है कि उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण ने वादी के पिता भोपालसिंह को संभला दी, जिनका कब्जा अधिकार चला आ रहा है, न्यायालय विचारणीय बिन्दु यह है कि उपरोक्त भूमि पर वादी का कब्जा परिपक्व हो चुका है एवं वादी उपरोक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है, जिस पर प्रतिज्ञा पत्र एवं मोखिक दस्तावेजी साक्ष्य का किसी प्रकार से कोई खंडन नही किया गया है एवं न्यायालय के द्वारा स्वयं के द्वारा मोके की रिपोर्ट पत्रावली पर निर्णय से पुर्व मंगवाई गई है, जिसमे भूमि पर वादी का कब्जा अधिकार उपयोग काश्त अंकित है, जिसका किसी भी प्रकार से कोई विरोध पत्रावली पर नही है व न ही किसी प्रकार से इस बात का खंडन किया गया है कि उपरोक्त भूमि पर वादीगण काबिज काश्तकार नही हो। वादीगण के द्वारा उपरोक्त भूमि पर अपनी मोखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना कब्जा काश्त अधिकार निर्बाध रूप से साबित किया है। वर्तमान परिपेक्ष मे देखने को मिलता है कि गरीब किसानो के पसीने की कमाई राजस्व रेकार्ड सही नही होने से अनावश्यक मुकदमे बाजी मे चली जाती है एवं लम्बी न्यायिक प्रकिया होने के कारण मुकदमो का निस्तारण नही हो पाता है, इन परिस्थितियो मे राजस्व मामलो का निस्तारण करते समय नरम रवैया अपनाया जाकर सस्ता एवं सुलभ न्याय के सिद्धान्त को बढावा दिया जाना चाहिये, जिससे आमजन मे न्यायालय की प्रकिया मे विश्वास बना रहे प्रस्तुत दस्तावेजी व मोखिक साक्ष्य के आधार पर व पत्रावली का अवलोकन करने व प्रस्तुत कानूनो का अध्ययन करने के बाद मेरे न्यायिक विनम्र मतानुसार वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। दोराने वाद विचारण वादी धापुकंवर का स्वर्गवास होने के कारण उसके नाम के आगे स्व. शब्द अंकित किया गया, जिसके वादी संख्या 02 कल्याणसिंह के अलावा अन्य कोई वारिसान नही होना कथन किया है। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी कल्याणसिहं पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुत निवासी मलसीसर को खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा भुमि वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा के खातेदार कृषक घोषित किया जाता है ,वाद वादी के पक्ष मे निर्णित किया जाकर डिक्रि किया जाता है ।

आदेश

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत वादविरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्रि किया जाकर वादी को खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा भुमि वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व एवं राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण के नाम हटाया जाकर कल्याणसिहं पुत्र भोपालसिंह की खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, राजस्व रेकार्ड मे वादी की खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है ,इस आशय का पर्चा डिक्रि जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.25 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

बइजलास उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़
बअदालत श्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

धापू कंवर बनाम धापू देवी आदि

दावा बाबत घोषणात्मक ,रेकार्ड दुरस्ती एंव चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति बावत

मुकदमा न0 78 सन 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....हाजरी श्री रमेश कुमार बिस्सु एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ ....मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकि किया जाकर वादी को खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 11 बीघा 10 बिस्वा भुमि वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व एवं राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण के नाम हटाया जाकर कल्याणसिहं पुत्र भोपालसिंह की खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, राजस्व रेकार्ड मे वादी की खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **29 माह 01 2025**

दस्तखत ....
ओहदा .... उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

मुहर

	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर वाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये